संख्याः45/2018/1817/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2018**

विषयः- उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत 500 मेगावाट क्षमता हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ बेस्ड बिडिंग के आधार पर प्राप्त नियत कोटेड टैरिफ के अनुसार परियोजना विकासकर्ताओं के चयन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु प्रतिपादित सौर ऊर्जा नीति-2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिये टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग आमंत्रित की गयी।

2- सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर निम्नांकित तालिका के अनुसार 25 वर्ष की अवधि तक परियोजना विकासकर्ता के नाम के सम्मुख अंकित परियोजना क्षमता एवं उक्त के लिए प्राप्त टैरिफ हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	बिडर्स का नाम	एलाटेड प्रोजेक्ट कैपेसिटी (मेगावाट में)	फाईनल टैरिफ आफटर ई-रिवर्स आक्सनिंग (टैरिफ फार 25 इयर्स) रू0/किवाट
1	माहेश्वरी माईनिंग एण्ड इनर्जी प्रा0 लि0, हैदराबाद।	20	3.17

http://shasanadesh.up.nic.in

2	एनटीपीसी लि0 (आरई), नोएडा।	140	3.17
3	माहेश्वरी माईनिंग एण्ड इनर्जी प्रा0 लि0, हैदराबाद।	20	3.19
4	महोबा सोलर यूपी प्राईवेट लि0, अहमदाबाद।	50	3.19
5	सुखबीर एग्रो इनर्जी लि0, पंजाब।	50	3.20
6	तालुतुतई सोलर प्रोजेक्टस फाईव प्रा0लि0।	50	3.21
7	एनटीपीसी लि0 (आरई), नोएडा।	20	3.21
8	इडन रिन्यूएबल जेसमीन प्रा0 लि0, नई दिल्ली।	50	3.21
9	महोबा सोलर यूपी प्राईवेट लि0, अहमदाबाद।	50	3.22
10	गिरीराज रिन्यूएबल प्रा0 लि0, नोएडा।	50	3.23
	योग	**500**	

http://shasanadesh.up.nic.in

3- सौर ऊर्जा नीति-2017 में उपलब्ध प्रोत्साहन व्यवस्थानुसार बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल में स्थापित परियोजनाओ को निश्चित किलोमीटर तक परियोजना विकासकर्ता द्वारा निर्मित पारेषण लाईन पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति परियोजना की सी.ओ.डी. उपरांत यूपीनेडा के बजट में ("4810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय-102-सौर ऊर्जा-04-सौर ऊर्जा स्रोतो पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना-24 वृहद निर्माण कार्य") में व्यवस्था कराते हुए राज्य सरकार द्वारा देय होगी।

4- परियोजना विकासकर्ता द्वारा निर्मित पारेषण लाईन पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति परियोजना के सी.ओ.डी. के उपरांत उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सौर परियोजना विकासकर्ता द्वारा पारेषण सम्बन्धी किये गये निर्माण कार्य एवं उक्त हेतु किये गये भुगतान के सत्यापन के आधार पर सम्बन्धित वर्ष में प्रति किलोमीटर लाईन निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी की गयी ''दर अनुसूची'' के अनुसार एवं वास्तविक निष्पादित लागत में जो भी कम हो, देय होगी।

5. कृपया तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन।
6- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल, लखनऊ।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा यूपीनेडा)।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,
चारूलता
सयुंक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।